उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक D/2718/चार–12–5/2023 जबलपुर, दिनांक 20/06/2023

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,(म.प्र. राज्य के ....समस्त)

2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खंडपीठ, ग्वालियर/इन्दौर,

3. सदस्य सचिव, म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर,

4. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर,

5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा अनुभाग)/अनुभाग इंचार्ज(पेंशन)/सहायक सेवा पुस्तिका (राजपत्रित)/सहायक(पेंशन)/सहायक (गोपनीय अनुभाग)/सहायक (शिकायत अनुभाग)/सहायक (बजट अनुभाग), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,

की ओर मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र कमांक 2307/21–ब(एक)/2023 दिनांक 19/05/2023, प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

नोटः–रजिस्ट्री पृष्ठांकन कमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों /पृष्ठांकनों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित **करें।**

19.6.23

रजिस्ट्रार(एम)

डेमन

Speed Post

मध्यप्रदेश शासन
विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक **2307**/21-ब(एक)/2023 भोपाल दिनांक 19/05/2023

प्रति

रजिस्ट्रार जनरल महोदय,
उच्च न्यायालय,
मध्यप्रदेश, जबलपुर

विषय :- मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों के पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर भुगतान के संबंध में।

संदर्भ :- कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल का पत्र क्रमांक 874/2023/DTA/पेरोल/C.No-40558 दिनांक 28/04/2023

यथानिर्देश, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 27/07/2022 एवं आदेश दिनांक 18/01/2023 का पालन समयावधि में किए जाने हेतु प्रेषित किए गए विभागीय पत्र दिनांक 03/02/2023 के फलस्वरूप आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा न्यायिक अधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण पश्चात् एरियर के भुगतान की द्वितीय एवं तृतीय दोनों किश्तों के भुगतान के आहरण की व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा संचालित Software IFMIS में कर दी गई है।

अत: आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल के संदर्भित पत्र अनुसार उपरोक्तआहरण हेतु अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (BCO/DDO's) को निदेर्शित किए जाने का अनुरोध है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

18/5/23

(**उमेश पाण्ड्व**)
सचिव
म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग
भोपाल दिनांक ...../05/2023

पृ. क्रमांक **2307**/21-ब(एक)/2023

1- आयुक्त कोष एवं लेखा, कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

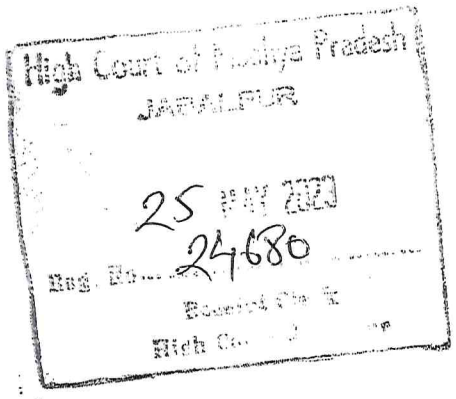

(**उमेश पाण्ड्व**)
सचिव
म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

File No.2/3/4/0005/2020-PRM-DTA

कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल

पर्यावास भवन, पंचम तल, खंड-अ, भोपाल
दूरभाष क्र: 0755-2676020 ईमेल: dtamp.bpl@mp.gov.in

क्रमांक: 874/2023/DTA/पेरोल/C.No-40558 भोपाल, दिनांक 11/05/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन
विधि एवं विधायी कार्य विभाग

विषय:- मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों के पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर भुगतान के संबंध में।

संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्रमांक- Q-1/21-इ(एक)/2023 दिनांक 28.04.2023

2. मध्यप्रदेश राजपत्र विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल दिनांक 03.02.2023

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के द्वारा म.प्र. न्यायिक सेवाएं (वेतन,पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक सेवा अधिकारियों के एरियर की द्वितीय किश्त का भुगतान दिनांक 30.04.2023 तक तथा तृतीय एवं अंतिम किश्त का भुगतान दिनांक 30.06.2023 तक करने के निर्देश के संदर्भ में IFMIS सिस्टम में द्वितीय एवं तृतीय किश्त का विकल्प प्रारंभ करने का लेख किया गया है।

कृपया अवगत होना चाहेंगे कि दिनांक 03.02.2023 को जारी विधि एवं विधायी कार्य विभाग के गजट नोटीफिकेशन में एरियर की प्रथम किश्त का भुगतान 03 माह के भीतर करने का उल्लेख है जो कि गजट जारी होने के दिनांक के अनुरूप 03.05.2023 होता है। प्रथम किस्त हेतु ऐरीयर गणना का प्रावधान IFMIS में दिनांक 29/03/2023 को करते हुए संबंधित डी.डी.ओ. को सूचित किया जा चुका है तदानुसार डी.डी.ओ. द्वारा भुगतान कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। राजपत्र में प्रकाशित उपरोक्त उल्लेखित नियम अनुसार द्वितीय किश्त, प्रथम किश्त के पश्चात 03 माह के भीतर अर्थात 03.08.2023 तक भुगतान का लेख है। परंतु तृतीय किश्त को 30 जून तक अथवा उससे पहले भुगतान करने का लेख किया गया है। जो कि द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु निर्धारित समय सीमा से सुसंगत नहीं है। सिस्टम में द्वितीय और तृतीय दोनो किश्तों के भुगतान की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

अत: द्वितीय एवं तृतीय किस्त का भुगतान विधि एवं विधायी कार्य विभाग के राजपत्र में दी गई आहरण समय सीमा के अनुरूप दिनांक निर्धारित करते हुए राशि आहरण हेतु अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में समय सीमा में आहरण करने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।

Signed by Dnyaneshwar
Bhalchandra. Patil
Date: ...-05-2023 18:17:46
Reason: Approved

आयुक्त
कोष एवं
लेखा

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. रजिस्ट्रार प्रशासन माननीय उच्च न्यायालय की ओर सूचनार्थ।

CR
14220

B-1